न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

रा.प्र.क. /.202503140500017/ अ–62/2024–25
ग्राम भैसमुण्डी, प.ह.नं. –27, तहसील भानुप्रतापपुर

रेल्वे विभाग वरिष्ठ
अनुविभाग अभियंता (रेल पथ)
बालोद (छ.ग.) द.मू.पू. रेल्वे रायपुर

विरूद्व

छ.ग. शासन

आदेश

(प्रारूप ड)
(पारित दिनांक 30/04/2025)

आवेदक विभाग रेल्वे विभाग वरिष्ठ अनुविभाग अभियंता (रेल पथ) बालोद (छ.ग.) द.मू.पू. रेल्वे रायपुर द्वारा ग्राम भैसमुण्डी, तहसील भानुप्रतापपुर , जिला उ.ब. कांकेर स्थित भूमि खसरा नंबर 442/2 में से धेबीन 1 नग, खसरा नंबर 335/2 में से 1 नग साजा वृक्ष, खसरा नंबर 72/2 में से 1 नग जामुन वृक्ष 1 नग, खसरा नंबर 725/2 में से 1 नग सागौन वृक्ष की कटाई हेतु इस न्यायालय में आवेदन दिया है। उक्त संबंध में तहसीलदार भानुप्रतापपुर से वन विभाग के अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन चाहा गया।

तहसीलदार भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक टेकाढ़ोडा एंव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन कच्चे के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन प्रारूप ख से सहमत होते हुए ग्राम भैसमुण्डी, तहसील भानुप्रतापपुर स्थित आवेदित खसरा नंबर 442/2 में से 1 नग धोबीन वृक्ष एंव खसरा नंबर 335/2 में से 1 नग साजा वृक्ष व 1 नग हल्दु वृक्ष कुल 03 नग वृक्ष को काटे जाने की अनुमति दिया जाता है।

क.	खसरा नं.	भूमि का प्रकार	वृक्ष का नाम	वृक्षों की गोलाई	वृक्ष का संख्या	स्थिती	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	442/2	शासकीय	धोबीन	2.24	1	जलाउ	
2	335/2	शासकीय	साल	2.10	1	जलाउ	
3			हल्दु	2.22	1	हा.सा.	
कुल वृक्षो की संख्या 03 नग							

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर

वृक्ष कटाई हेतु शर्त :–

1. उक्त भूमि पर स्थित प्रभावित वृक्षों को काटने की कार्यवाही राजस्व विभाग, वन विभाग, रेल्वे विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।
2. वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई पश्चात् विभाग के डिपों में परिवहन किया जावेगा, तथा परिवहन किये गये काष्ठ को नियमानुसार निवर्तन कर काष्ठ की राशि शासकीय राजस्व मद में जमा किया जावेगा।
3. *आवेदक विभाग रेल्वे विभाग वरिष्ठ अनुविभाग अभियंता (रेल पथ) बालोद (छ.ग.) द.मू.पू. रेल्वे रायपुर द्वारा 03 नग वृक्ष के बदले क्षतिपूर्ति हेतु 10 गुना (नियमानुसार) वृक्षारोपण के लिए राशि वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में नियमानुसार जमा किया जावेगा।*
4. *प्रकरण में तहसीलदार भानुप्रतापपुर के प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक टेकाढ़ोडा एंव सहायक परिक्षेत्र अधिकारी वन कच्चे के आधार पर जनहित में उपरोक्तानुसार वृक्षों को काटने की अनुमति दिया जाता है। भविष्य में यदि किसी प्रकार का विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है, तो इसके लिये आवेदक विभाग जिम्मेदार होगा।*

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर

30/4/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 851 /अ.वि.अ./रीडर/2025 — भानुप्रतपपुर, दिनांक 30/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. *वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सम्प्रेषित।*
3. *रेल्वे विभाग वरिष्ठ अनुविभाग अभियंता (रेल पथ) बालोद (छ.ग.) द.मू.पू. रेल्वे रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ सम्प्रेषित।*
4. *तहसीलदार भानुप्रतापपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।*

30/4/2025

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भानुप्रतापपुर
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)